न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	51/2016
GSMS प्रकरण संख्या	2015/01819
वाद दायर दिनांक	29.01.2016
वाद निर्णय दिनांक	12.11.2021

उनवान

क्र.सं.	वादी / वादीगण का नाम व पता
1	श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादी

उपस्थित वकील वादी	वादी स्वंय
उपस्थित वकील प्रतिवादी	श्री पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956

आदेश

(1) वादी द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादी श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा तहसील आसीन्द को राजस्व ग्राम रामपुरिया की सरहद में साबिक रेकार्ड में आ.नं. ३१७ मी में से रकबा ३) भूमि दिनांक 07.01.1983 को आवन्टित की गयी थी किन्तु वादी का कब्जा साबिक आ.नं.314मीं में होने से नम्बर परिवर्तन किये जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 277 निर्णय दिनांक 30.09.2021 से वादी को गैरखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड किया गया।

(2) वादी आवन्टन समय से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसके हाल राजस्व रेकार्ड में वादी की कब्जाशुदा आराजी के नये नम्बर 1093,1094,1095,1096,1097 व 1321 कायम किये गये जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना आधार के वादी के खाते में दर्ज नहीं कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्द है। जिसे वादी अपनी खातेदारी घोषणा करा वादी की कब्जे शुदा आराजी 316 मीं व 317 मीं दिया गया जो इन्द्राज दुरस्ती से सही किया जाना न्यायहित मे है।

(3) वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर प्रकरण संख्या 157 /2003 कायम किये जाकर जवाब सरकार लिया गया तथा कायमी तनकी पर्चा किया जाकर तनकीवार विवेचन किया गया।

(4) वादपत्र में दस्तावेजों / साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन किये जाने के उपरान्त तनकीयात वादीगण के विरूद्द निर्णय होने से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.[illegible]2013 [illegible] वाद पत्र को खारिज कर दिया गया।

(5) उक्त निर्णय के विरूद्द वादी द्वारा प्रथम अपील माननीय [illegible] राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसके प्रकरण संख्या [illegible]/2015 में पारित निर्णय दिनांक [illegible]2015 से न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय को निरस्त कर आवन्टित भूमि [illegible] व कब्जे की स्थिति की जांच कर [illegible] निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली न्यायालय हाजा को रिमाण्ड की गयी है।

(6) पत्रावली रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त होने पर रजिस्टर प्रकरण संख्या 51/2016 पर पुनः पंजीबद्द किया जाकर उभय पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(7) माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना के क्रम मे न्यायालय हाजा के पत्र क्रमांक /कोर्ट /2019 /53 दिनांक 30.05.2021 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा गया जो जांच रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 को प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(8) पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प दड़ावट में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य / सबूत / दस्तावेज /बयान गवाह / रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / संलग्न राजस्व रेकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपियों का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण में संक्षेपतः तथ्यात्मक विवरण पाया गया कि आवन्टिती श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा को राजस्व ग्राम रामपुरिया की सरहद में साबिक रेकार्ड में आ.नं. ३१७ मी मेंसे रकबा ३) बीघा भूमि दिनांक 07.01.1983 को आवन्टित की गयी थी किन्तु वादी का कब्जा साबिक आ.नं.314 में होने से नम्बर परिवर्तन किये जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 277 निर्णय दिनांक 30.09.2021 से वादी को गैरखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड किया गया। वादी आवन्टन समय से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिसके हाल राजस्व रेकार्ड में वादी की कब्जाशुदा आराजी के नये नम्बर 1093,1094,1095,1096,1097 व 1321 कायम किये गये जिसे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना विधिक आधार के वादी के खाते में दर्ज नहीं कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है। कब्जे शुदा आराजी नम्बर 1093,1094,1095,1096,1097 व 1321 साबिक आराजी नम्बर 316 मीं व 317 मीं से बने है। चूंकि वादी का आवन्टन समय से ही आज दिनांक तक उक्त आवन्टित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा आवन्टिती द्वारा आवन्टन शर्तों की पालना की जा रही है जिससे प्रतीत होता है कि आवन्टिती को आवन्टन समय पर साबिक आ.नं.316 मीं व 317 मीं में भूमि माप कर कब्जा सुपुर्द किया गया था तभी से आवन्टिती उक्त कब्जा शुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में काफी राशि व्यय की है तथा उक्त आवन्टित भूमि को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कर दिये जाने से राजस्व विभाग द्वारा आवन्टिती को अपचारी मानते हुये उनके विरूद्द अतिक्रमण बाबत् नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

(9) उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आवन्टन समय से ही निरन्तर कब्जा काश्त करने तथा आवन्टन शर्तों की पूर्ण पालना करने से राजस्व ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट के उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में उचित समझता है।

—:क्रियात्मक निर्णय :—

अतः वादी द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956 स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी को खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया जाना है	वि.वि.
	रामपुरिया	श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा खातेदार	1093	0.14	0.14	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1094	0.03	0.03	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1095	0.05	0.05	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1096	0.21	0.21	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1097	0.07	0.07	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
		कुल योग	1321	0.38	0.16	पूर्वी सीमा की ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा [illegible] हो [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक [illegible].11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 – केम्प दड़ावट में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	51/2016
GSMS प्रकरण संख्या	2015/01819
वाद दायर दिनांक	29.01.2016
वाद निर्णय दिनांक	12.11.2021

क्र.सं.	वादी / वादीगण का नाम व पता
1	श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादीगण की ओर से वादी स्वंय तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 12.11.2021- को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नाकिंत कृषि भूमि मे वादी को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	कुल रकबा	रकबा जिसमें खातेदार घोषित किया जाना है	वि.वि.
	रामपुरिया	श्रीराम पि.बालू गूर्जर नि.हेमा का खेड़ा खातेदार	1093	0.14	0.14	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1094	0.03	0.03	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1095	0.05	0.05	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1096	0.21	0.21	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
			1097	0.07	0.07	सम्पूर्ण क्षेत्रफल
		कुल योग	1321	0.38	0.16	पूर्वी सीमा की ओर

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेंखें ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख –12.11.2021-- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	2		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प		
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		अर्जी के लिए स्टाम्प	–	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	1		प्लीडर की [illegible]	–	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	–		साक्षियों के लिए निर्वाह [illegible]	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	3		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	7		योग	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा